न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सं0 : 08/2019 (2019/00231)

<u>प्रार्थी</u>

किशनाराम पुत्र लाखाराम, उम्र 52 वर्ष, जाति भील (अनुसूचित जनजाति), निवासी सुवालिया, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

<u>अप्रार्थीगण</u>

1. वीरमाराम (बीरमाराम) पुत्र किशनाराम
2. लालूराम पुत्र किशनाराम
3. तुलछाराम पुत्र किशनाराम
   जातियान मेघवाल, निवासीयान् सुवालिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. भीखाराम पुत्र भैराराम, जाति भील (अनुसूचित जनजाति), निवासी – सुवालिया, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अनुसूचित जन जाति जमीन अनुसूचित जाति के सदस्य के हक में किये गये बेचान व नामान्तरकरण संख्या 342 के क्रम में बिना किसी उचित आधार के अप्रार्थी संख्या 03 का नाम रेफरेन्स अन्तर्गत भूमि के मुतालिक दर्ज करने के क्रम में।

– – –

<u>उपस्थिति</u> :

1. अधिवक्ता श्री छोटू सिंह सोढ़ा (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सूरजमल नवीन (अप्रार्थी संख्या 01 से 03)
3. अप्रार्थी संख्या 04 व 05 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

:–: <u>आदेश</u> :–: दिनांकः 16.12.2021

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अनुसूचित जनजाति जमीन अनुसूचित जाति के सदस्य के हक में किये गये बेचान व नामान्तरकरण संख्या 342 के क्रम में बिना किसी उचित आधार के अप्रार्थी संख्या 03 का नाम दर्ज किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुवालिया (वर्तमान [illegible] किशनपुरा) पटवार क्षेत्र सुवालिया जिला जोधपुर के खसरा नं0 999/9 में रकबा 28 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। उक्त खसरा सहित अन्य खसरों की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि सैटलमेंट भैरूसिंह वल्द जवारसिंह जाति राजपूत के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। तत्पश्चात् उक्त खातेदारी भैरूसिंह ने ग्राम सुवालिया की उक्त खसरा नं0 999 की भूमि में से रकबा 28 बीघा भूमि प्रार्थी किशनाराम के पिता लाखाराम पुत्र खेताराम तथा अप्रार्थी संख्या 04 भीखाराम पुत्र भैराराम जातियान भील को बेचान कर दिया, जिस बेचान की रूह से प्रार्थी के पिता लाखाराम तथा अप्रार्थी संख्या 04 भीखाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खरीद की गयी भूमि रकबा 28 बीघा मुतालिक अमल दरामद किया गया तथा उक्त खरीद की गई भूमि का खसरा नं0 999/1 दर्ज कर खातेदारी दर्ज की गयी। लाखाराम तथा भीखाराम उक्त खसरा की भूमि के दोनों ही अनुसूचित जनजाति (भील) के खातेदार थे लेकिन उक्त खसरा नं0 999/1 के खातेदार लाखाराम (प्रार्थी के पिता) तथा अप्रार्थी संख्या 04 भीखाराम ने उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.07.1977 के बेचान कर दिया। कानूनी प्रावधान अनुसार उक्त भूमि को आगे बेचान/हस्तानान्तरण भी विधि व नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही किया जा सकता था। तत्पश्चात् विक्रम संवत् 2041 से 2052 तक की जमाबन्दियों में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम उक्त भूमि रहीं। उसके पश्चात् विक्रम संवत् 2053 से 2056 की उक्त भूमि की जमाबन्दी के खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 03 तुलछाराम का नाम अंकित कर दिया, जबकि उक्त खसरे से अप्रार्थी संख्या 03 का कोई सरोकार नहीं रहा है, न तो अप्रार्थी संख्या 03 तुलछाराम उक्त भूमि का खरीददार है और न ही किसी फौतेदगी के आधार पर उसका नाम दर्ज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री सूरजमल नवीन ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 07.12.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में बतलाया कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषक योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्राप्त किये तब उन दस्तावेजात् का अधिवक्ता द्वारा अवलोकन करने पर उसकी जानकारी में दी गई। इस कारण रेफरेन्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करने में जो तनिक देरी हुई है वो सद्भाविक व युक्तियुक्त है, जिसे क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि उक्त भूमि के खातेदार लाखाराम फौत हो चुके है, जिनका प्रार्थी जायन्दा पुत्र होने के नाते उक्त भूमि का हितबद्धधारी है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में लाखाराम व खेताराम के बाद जो भी नाम अमल दरामद हुआ है, वह प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के खातेदार की भूमि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के पक्ष में करवाये गये बेचाननामा दिनांक 16.07.1977 प्रारम्भ से ही शून्य है। अप्रार्थी संख्या 03 का नाम जो बिना किसी आधार व अधिकार के दर्ज किया गया है, उसे भी निरस्त/विलोपित कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 का भूमि पर कब्जा बहाल कराया जाना उचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि प्रारम्भ से ही शून्य अनुसूचित जनजाति के खातेदार की भूमि मुतालिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में करवायें गये बेचाननामा दिनांक 16.07.1977 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 25.09.77 को निरस्त फरमाया जाए तथा अप्रार्थी संख्या 03 का नाम जो बिना किसी आधार पर दर्ज किया गया है, उसे भी निरस्त करने एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 का उक्त भूमि पर कब्जा बहाल करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अभिभाषक ने लिखित जवाब बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर बतलाया कि कानूनी एतराज प्रथम स्तर पर यह है कि विचाराधीन प्रार्थना–पत्र किसी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा का बेचानकर्ता के पुत्र द्वारा पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर न्यायिक निर्णयों के अनुसार विक्रेतापक्ष यह आधार नहीं ले सकता है कि उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की जानकारी नहीं रही है क्योंकि वह अनपढ़ व्यक्ति है।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में आगे बतलाया कि विचाराधीन प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 25.09.1977 प्रभावशून्य घोषित किया जाए जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक निर्णयों के अनुसार 12 वर्ष अवधि के बाद नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई तात्पर्य नहीं रहता है क्योंकि 12 वर्ष के बाद खरीददार पक्ष का कब्जा होने के कारण उसे कब्जे के आधार पर अधिकार प्राप्त हो जाते है। राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारियों को धारा 175 या 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही करनी चाहिये थी जिसमें राजस्व अधिकारी असफल रहे इसलिए लम्बी अवधि गुजरने के बाद धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही न्यायसगंत नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 342 जो दिनांक 25.09.1977 को स्वीकार होना बतलाया है जो विचाराधीन प्रार्थना–पत्र पेश करने के दिन से करीब 40 वर्षों पूर्व स्वीकृत हुआ है इसलिए युक्तियुक्त समयावधि में धारा 82 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं होने से खारिज योग्य है। विवादित खसरा में करीब 20 वर्षों पूर्व से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के आवासीय मकान बने हुए है तथा प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरान् पर बैंक से ऋण भी ले रखा है। ऐसे में प्रार्थना–पत्र धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं हाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने इसके समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1- RRT 2005 (1) Page No. 479
2- RRT 2007 (1) Page No. 717

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण (रेफरेन्स) में विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता लाखाराम भील व अप्रार्थी संख्या 04 भीखाराम भील (दोनों अनुसूचित जनजाति) द्वारा अप्रार्थी 1 बीरमाराम मेघवाल व अप्रार्थी 02 लालूराम मेघवाल (दोनो अनुसूचित जाति) को वर्ष 1977 में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 ख के तहत ऐसा बेचान करने पर प्रतिबंधित किया हुआ है तथा उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 25.9.1977 ग्राम सुवालिया अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया, को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स पेश हुआ। यह निर्विवादित है कि प्रार्थी के पिता लाखाराम व अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा अपने जीवनकाल में कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा करीब 40 वर्ष पश्चात् धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 25.09.1977 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स पेश किया गया। प्रार्थीपक्ष ने रेफरेन्स 40 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत् बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषक योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्राप्त किये तब जानकारी में आया, जो युक्तियुक्त का[illegible] है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर आज भी कब्जा काश्त है नहीं बताया गया। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRT

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

2005 (1) Page No. 479 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि ''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 42 (बी) बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग – अधिनियम में परिसीमा नहीं दी है खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद पुनरीक्षण अधिकारिता के अन्तर्गत निरस्त नहीं किये जा सकते – भुमि अन्तरण करने में धारा 42 बी के प्रावधानों का उल्लंघन किन्तु कई वर्षों बाद नामान्तरकरण अथवा डिक्री का पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग कर निरस्त करने हेतु आधार नहीं है, अभिनिर्धारित किया है। '' RRT 2007 (1) Page No. 717 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 रेफरेन्स में 25 वर्ष के असाधारण विलम्ब के बाद रेफरेन्स पेश किया, जो इतने विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करना अवैध व शून्य है। प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण भी 40 वर्ष पश्चात् पेश हुआ अतः उपरोक्त न्याय निर्णय इस प्रकरण में ग्राह्मय योग्य है, प्रार्थीपक्ष का यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 03 तुलछाराम के पक्ष में बेचाननामा नहीं होने के पश्चात भी इनका नाम सहखातेदार के रूप में जमाबन्दी संवत् 2053–2056 में दर्ज कर दिया गया। प्रथम तो अप्रार्थी संख्या 03 का नाम जमाबन्दी में सम्मिलित करने से प्रार्थीपक्ष के हित कैसे प्रभावित हो रहे है, स्पष्ट नहीं किया गया। द्वितीयतः अप्रार्थी संख्या 03 का नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हित प्रभावित हो रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हित प्रभावित होने पर वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त रेफरेन्स प्रकरण 40 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा RRT 2005 (1) Page No. 479 तथा RRT 2007 (1) Page No. 717 पर दिये गये न्यायनिर्णयों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।